

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सैद्धिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अ०अ० प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आदेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-17 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विवेचक द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2062	नन्दनी बाग-मुस्कौली, पी०-नवाबगंज, पोस्टा-271303	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंडीओ पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,160.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सहायक द्वारा निर्गत किये जाने



## कार्यलय

### राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,

#### पुनर्र्देश राजमंडल

संख्या:- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक:- दिनांक 09/08/2021

#### :कार्यलय ब्राह्म:

अहित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कॉर्नेस का उचित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संकेत प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजमंडल ने सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को अधिसूचना क्र. 08/08/2021 में सम्बद्धता समिति की बैठक созान हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्पणित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदानक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीन पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिखा गया-

सम्बद्धता समिति को बैठक में लिखे गये विचारों के अनुक्रम में प्रथम स्थान को प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजमंडल द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रेषित गतों के अधीन प्रदानक्रम एवं उक्तमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2062-NANDINI COLLEGE, VILL-TURKAULI, POST-NAWABGANJ, GONDA-271303			
क्रमांक	प्राथमिकता का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

#### सम्बद्धता हेतु नवीन

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1983 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेक्टर विनियमवली 2256 तथा अन्य विहित विधियों का पालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीन नवीन ईमेल प्रदान करेगी हेतु सत्र 20150-2017, प्रतिक्रिया दो नवीन प्रवेश क्षमता 40000 हेतु सत्र- 20200-2021 परिषद द्वारा एक तथा दो नवीन प्रवेश क्षमता (दो नवीन प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त) हेतु सत्र-20200-2021 निर्धारित शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उक्तविवेक के अतिरिक्त छात्र/छात्रा को दो शुल्क के समर्थन में समय-समय पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शासन द्वारा प्रदान की गयी, और अनुसूचक वर्ग/जाति विधायक तथा अनुसूचक वर्ग/जाति विधायक विधायक तथा नवीन सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाएगा, ता प्रवेश की वर्तमानता को लागू करेगी।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित, संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान करने पर निर्धारित 2020 एवं शर्तों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था में कक्षा प्रवेश प्रवेश परिसर द्वारा आवेदन प्राप्त की गई प्रवेश लिखा जाएगा। सत्रों के शिक्षा सह जान की विधि में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/सी0सी0आई0 में सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 50 प्रदान की जाएगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कक्षा नवीन विधिविनियमवली/विनियमवली/शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजमंडल, प्रमुख प्रवेश प्रवेश परिसर द्वारा सत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजमंडल द्वारा कक्षा नवीन विधिविनियमवली/विधिविनियमवली/विधिविनियमवली का पालन करने के लिये बाध्य होगी।